

36

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
सहरनपुर रोड, ट्रान्सपोर्ट नगर, देहरादून।
अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सील हेतु आदेश

क्रमांक-501 / वाद संख्या सी-0362/एस-1/2023

दिनांक-7/5/2025

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

कृपया श्री शालिक राम, निवासी स्वास्तिक वैकर्स निकट, दूनमेडिकील कालेज, देहराखास, देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1993 की धारा 27 (1) अधीन बिना अनुज्ञा/स्वीकृति के उक्त स्थल पर लगभग 35 गुण 40 फिट के क्षेत्रफल में भूतल पर दुकान तथा प्रथमतः पर आवासीय निर्माण करने के कारण का नोटिस जारी किया गया। जिसमें विधिवत सुनवाई उपरान्त दिनांक 21.05.2024 को सील आदेश पारित हुए। परन्तु विपक्षी शमन मानचित्र ओआ-0319/24-25 जमा कराने के कारण सील की कार्यवाही स्थगित की गयी। उक्त जमा मानचित्र निरस्त हो गया है। ऐसी स्थिति में चालान शुद्धा निर्माण परिसर को दिनांक 14.5.25 को सील किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त तिथि को चालान शुद्धा निर्माण को सील की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस सहित) उपलब्ध कराने हेतु निदेशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि- 1-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि निर्माण को सील करने की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस सहित) उपलब्ध कराने हेतु निदेशित करने का कष्ट करें।

2-नायब तहसीलदार, देहरादून को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र०) देहरादून के पत्र संख्या 1205/विविध-जेए/2024 दिनांक 07.01.2024 द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग के दौरान चयनित स्थल पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नामित किया गया है। कृपया उक्त तिथि को सीलिंग कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहें।

3-सम्बन्धित थानाध्यक्ष, देहरादून, को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4-सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि वह निर्धारित तिथि व समय पर उक्तानुसार सील की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

5- श्री शालिक राम, स्वास्तिक वैकर्स निकट, दूनमेडिकील कालेज, देहराखास, देहरादून को चालान शुद्धा निर्माण को उक्तानुसार एवं पूर्व पारित सील आदेश दिनांक 21.05.2024 पत्रांक 1117 के क्रम में सूचनार्थ।

6-नाजिर को इस निर्देश के साथ कि उक्त दिनांक को दो वाहन एवं सील से सम्बन्धित समस्त सामग्री को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



(हस्ताक्षर)

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

